न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:—177 / 2023

प्रार्थी::—

खीमाराम पुत्र मगनाराम जाति पुरोहित निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. अमरसिंह पुत्र मेहराराम जाति पुरोहित
2. शैतानसिह पुत्र मेहराराम जाति पुरोहित
3. निम्बाराम पुत्र करनाराम जाति रबारी
4. पोकरराम पुत्र करनाराम जाति रबारी
5. बलाराम पुत्र करनाराम जाति रबारी
6. सावलाराम पुत्र पनाराम जाति रबारी
7. जोगाराम पुत्र अणदाराम जाति पुरोहित
8. शंकरलाल पुत्र अणदाराम जाति पुरोहित
9. सुकीदेवी पत्नी अणदाराम जाति पुरोहित
10. सावलाराम पुत्र मोहब्ताराम जाति पुरोहित
11. चूनीदेवी पत्नी दरगाराम जाति राईका
12. डपादेवी पत्नी हराराम जाति राईका
13. थानाराम पुत्र हराराम जाति राईका
14. दीपाराम पुत्र दरगाराम जाति राईका
15. भटाराम पुत्र देवाराम जाति राईका
16. भुराराम पुत्र देवाराम जाति राईका
17. भेराराम पुत्र कुम्पाराम जाति राईका
18. मंगलाराम पुत्र दरगाराम जाति राईका
19. मीरा देवी पत्नी देवाराम जाति राईका
20. लाखाराम पुत्र हराराम जाति राईका
21. कलाराम पुत्र दुर्गाराम जाति राईका
22. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
23. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा राखी
24. नवाराम पुत्र हमीराराम जाति राईका
25. भगवानाराम पुत्र हमीराराम जाति राईका
26. मेघाराम पुत्र दुर्गाराम जाति राईका
27. मोगी देवी पत्नी दुर्गाराम जाति राईका

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री हीराचन्द सुथार वकील प्रार्थी
2. श्री नरपतसिंह भाटी विप्रार्थी स 3,4,6
3 एकपक्षीय विप्रार्थी संख्या 1,2,5 से 27

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

::आदेश::

दिनांकः—19.12.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 674 रकबा 2.1570 हैक्टेयर भूमि ग्राम मूठली तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की लगती विप्रार्थी सं. 1 से 21 व 24 से 27 की खातेदारी भूमि ख.स. 688, 686, 685, 684 व 800 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से ए से ई दर्शाया गया विप्रार्थी सं. 1 से 21 व 24 से 27 उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 से 21 व 24 से 27 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 21 व 24 से 27 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 21 व 24 से 27 की ओर से वकील श्री नरपतसिंह भाटी व यशपालसिंह उपस्थित वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 21 व 24 से 27 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

नवसृजित पक्षकार के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

प्रार्थी अधिवक्ता दौराने बहस ने प्रार्थना पत्र में अंकित पदों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु प्रार्थी के खातेदारी खेत 674 से लगती विप्रार्थी संख्या 1 से 21 व 24 से 27 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 688, 686, 685, 684 व 800 में प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शित एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग लाल सी. से बी. को गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे, प्रार्थी उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 6, 21 व 24 से 27 को देने हेतु सहमत है।

विप्रार्थी संख्या 3,4 व 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते बाबत तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट में दर्शित बरंग लाल बिन्दू संख्या सी से बी तक रास्ता निकालने हेतु सहमति जाहिर की गर्ठ

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख)के बिन्दू (ii) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो तो उक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जा सकता है। तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट अनुसार बिन्दू संख्या ए से सी तक चलने वाली मुरड सडक से लगती हुई है परन्तु उक्त मुरड सडक राजस्व रेकर्ड में कटाण द[illegible] तथा बिन्दू संख्या सी से बी तक रास्ता प्रार्थी के खसरा संख्या 674 रकबा 0.[illegible]70 हैक्टेयर में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 6, 21 व 24 से 27 के [illegible] खसरा संख्या 688, 686, 685, 684 मे से चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट के संलग्न बरंग लाल बिन्दू संख्या सी से बी. सुविधाजनक ,निकटतम एव वैकल्पिक रास्ता बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम मूठली तहसील सिवाना की ख.सं. 674 रकबा 2.1570 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 6, 21 तथा 24 से 27 खातेदारी भूमि खं.सं. 684 में लम्बाई 71 मीटर चौडाई 4 मीटर रकबा 0.0284, खसरा सख्या 685 मे लम्बाई 11 मीटर चौडाई 4 मीटर रकबा 0.0044 हैक्टेयर, खसरा संख्या 686 मे लम्बाई 29 मीटर व चौडाई 4 मीटर रकबा 0.0116 हैक्टेयरा तथा खसरा संख्या 688 मे लम्बाई 256 मीटर व चौडाई 4 मीटर रकबा 0.1024 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल सी से बी दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 6, 21 तथा 24 से 27 को को दी जावे ,विप्रार्थी संख्या 1 से 6, 21 तथा 24 से 27 द्वारा उक्त राशि लेने से इन्कार की स्थिति में उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक– राजस्व/2025/595 दिनांक 25.07.2025 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 19.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:06 IST
Reason: SelfAttested

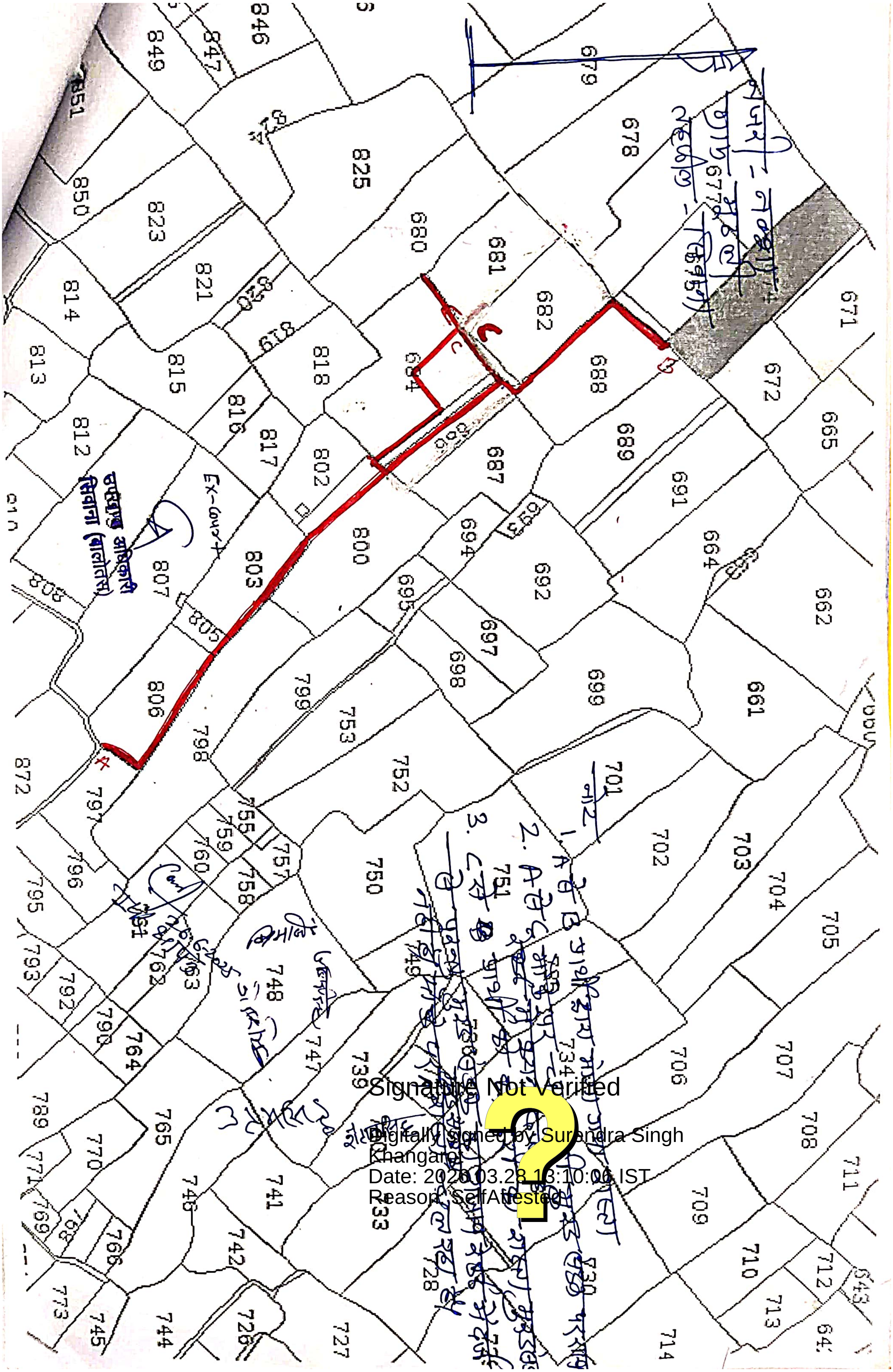

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:06 IST
Reason: SelfAttested